न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 26/2020
प्रविष्टि दिनांक 05.03.2020

शैतान पुत्र राधेश्याम जाति धोबी निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोक —रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक14.10..2019 मिसल नम्बर 738—40/2019

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 30.08.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 2.25 है0,खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 है0 व खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 2.74 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर क्रमशः बगीचा,चरी,उडद,बाजरा की फसल काश्त कर एंव दुकानो का निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 4084/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील[illegible] को बिना सुने व बिना [illegible] सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया [illegible]स्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का [illegible] अवसर नही दिया गया है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना [illegible] उक्त भूमि बा[illegible] रिपोर्ट पेश की है। अप[illegible] उसके पूर्वजो का उक्त भूमि पर गत 40 वर्षो से [illegible] अधिक समय से कब्जा चला [illegible] है। अपीलांट को पूर्व मे कभी भी उक्त भूमि से बेदख[illegible] नही किया गया है। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

द्वारा उक्त भूमि पर बनी हुई दुकानो मे व्यवसाय करके अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता आ रहा है। अपीलांट के पास इस भूमि मे बनी हुई दुकानो के अलावा आय का कोई अन्य साधन नही है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई फसल काश्त नही की है। मौके पर उक्त भूमि पर वर्तमान मे कोई फसल नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 3711/2943 रकबा 2.25 है0,खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 है0 व खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 2.74 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर क्रमशः बगीचा,चरी,उडद,बाजरा की फसल काश्त कर एंव दुकानो का निर्माण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 3711/2943 रकबा 2.25 है0,खसरा नम्बर 2944/3408 रकबा 0.46 है0 व खसरा नम्बर 3711/2943 रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 2.74 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर क्रमशः बगीचा,चरी,उडद,बाजरा की फसल काश्त कर एंव दुकानो का निर्माण कर अतिक्रमण किया है, जो पत्रावली मे सलंग्न प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 99/2018 निर्णय दिनांक 15.11.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर का न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे ही दिनांक 23.12.2020 को निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित किया जाना हम उचित नही समझते है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 14.10.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते